कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला–गरियाबंद(छ.ग.)

–: आदेश :–

क्रमांक / 438 / एडीएम / 2026 गरियाबंद, दिनांक 6 / 02 / 2026

पुलिस अधीक्षक जिला गरियाबंद द्वारा अपने पत्र क्रमांक / पुअ / गरि / जिविशा / 06वी / 2026 दिनांक 01 / 02 / 2026 के माध्यम से अवगत कराया गया हैं कि दिनांक 01.02.2026 को ग्राम दुतकैया (खपरी) थाना राजिम जिला गरियाबंद में हिन्दू–मुस्लिम विवाद के कारण तनाव उत्पन्न होने के फलस्वरूप एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के घरों में आगजनी एवं तोड़–फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया है, जिससे गांव में विवाद की स्थिति बनी हुई है।

उक्त घटना की दण्डाधिकारी जांच हेतु श्री विशाल महाराणा, अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजिम जिला गरियाबंद (छ.ग.) को जॉच अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जॉच के निम्नानुसार हैः–

1. ग्राम दुतकैया थाना राजिम जिला गरियाबंद (छ.ग.) में आगजनी एवं हिंसक घटना किन परिस्थिति में घटित हुई ?
2. उक्त घटना के लिए कौन जम्मेदार है?
3. ग्राम दुतकैया (खपरी) में जनहानि / संपत्ति एवं अन्य प्रकार हानि का भी जॉच करें ।
4. घटना के संबंध में विस्तृत जांचकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
5. इस तरह घटना की पुनविति न हो इस संबंध में आवश्यक सुझाव दें।

06/02/26

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला– गरियाबंद (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 438A / एडीएम / 2026 गरियाबंद, दिनांक 6 / 02 / 2026

प्रतिलिपि :–

1. अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन, ब्लाक–सी, जी.पी.ओ. काम्पलेक्स, आई.एन.ए. नई दिल्ली–110023 की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग, रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. आयुक्त, रायपुर संभाग रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. पुलिस अधीक्षक, गरियाबंद सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया जॉच अधिकारी को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।
7. श्री विशाल महाराणा, अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजिम जिला गरियाबंद को उक्त घटना के कारणो की बिन्दुवार जॉच कर जॉच प्रतिवेदन 15 दिवस के अन्दर भेजना सुनिश्चित करे।

06/02/26

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला– गरियाबंद (छ.ग.)